(2)

नायब तहसीलदार/तहसीलदार–अर्जन

कृपया गत पृष्ठ पर अधिशासी अभियन्ता जोन–2 की अंकित आख्या दिनांक 09.09.2015 के माध्यम से शारदा नगर योजना के रश्मि खण्ड में सिचाई विभाग के जी+3 भवनों के पीछे के सम्बन्ध में टोटल सर्वे को सजरा प्लान पर दर्शाते हुए खसरा संख्या–549, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 596 व 597 की अर्जनीय स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खसरा संख्या–549स रकबा 7–14–0–0 बीघा, 556स रकबा 0–19–10–0 बीघा, 559स रकबा 0–7–11–0 बीघा, 561स रकबा 1–4–10–0 बीघा, 565 रकबा 0–10–0–0 बीघा, 596स रकबा 0–2–10–0 बीघा, व 597स रकबा 0–16–15–0 बीघा स्थित ग्राम भदरूख, लखनऊ का अधिग्रहण कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–4 के अन्तर्गत वर्ष 1985 में किया जा चुका है। एवं खसरा संख्या–549पी रकबा 0.759 स्थित ग्राम भदरूख, लखनऊ का अधिग्रहण कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–7 के अन्तर्गत किया गया है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4 (1)/16 व धारा–6(1)/16 का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 11.09.2008 व दिनांक 29.09.2009 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 27.09.2011 को अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 नगर महापालिका–द्वितीय लखनऊ द्वारा घोषित किया जा चुका हैं तथा भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिनांक 12.07.2012 को हस्तांरित किया जा चुका है। इस प्रकार अर्जन की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। अतः पत्रावली उक्त आख्या सहित अभियन्त्रण विभाग को वापस करना चाहें।

(रेणु मिश्रा)
नायब तहसीलदार (अर्जन)
ल0 वि0 प्रा0
लखनऊ

डा0 जितेन्द्र कटियार
तहसीलदार
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(रोहित खन्ना)
अधि0 अभि0 अर्जन
ल0वि0प्रा0

86/AA2/15
24.11.2015

24/11/15

24.11.2015

1550